# कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग( सखी वन स्टॉप सेंटर) पुराना पुलिस मुख्यालय, जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. **/२६५८** / मबावि. / स्थापना शाखा / 2024–25

रायपुर, दिनांक 17/01/2025

#### / / विज्ञापन / /

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक / 7246 / मबावि / 2024—25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक / 10478 / मबावि / मसि / सखी—4 / 24—25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र कमांक / 4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर के नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 17/01/2025... से दिनांक 07/02/2025.तक समय प्रातः 10:00 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विमाग, पुराना पुलिस मुख्यालय कैम्पस, जिला रायपुर (छ.ग.) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है जिनका विवरण

निम्नानुसार है:-

	14.413.0	1. 0.				
क्र	त. सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिक तम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rolrs & Responsibilities
1	Central Admini strator	01 अनारि क्षत	31250 / — प्रतिमाह (लेवल—10)	45 वर्ष	<ul> <li>Any woman having a Masters in Law/ Social Work Sociology/Social Science/Psychology with at least 5 years" experience of working on women related relevant domains in an administrative set-up with a Government Government or Non- project/ programme and preferably with at least 1 year experience of counselling either within or outside the same set-up.</li> <li>She should be preferably a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.</li> </ul>	be a woman with requisite qualification available at OSC She will be a residential staff attached to OSC  • The Centre Administrator would be in charge of functioning of OSC. She would be the first point of contact with the woman who is accessing OSC  • The Centre Administrator would interact with every woman seeking OSC's intervention for addressing violence.

	S							
-								with the aggrieved woman.  As soon as the complaint is registered, the Centre Administrator will send a text
								message (SMS/Internet) to theDPO/PO/CDPO/SHO/DM/SP/DYSP/CMO of the
								district in which the women is located at the time of accessing OSC.
							•	The Centre Administrator would be responsible for coordination with all stakeholders (police station, hospital, legal aid,
								counselling), registration of cases in the absence of the IT Staff.
							•	The Centre Administrator will consolidate a list of agencies/individuals providing/willing to provide
								legal/medical/psycho-social counselling services at OSC.
							•	The Centre Administrator will coordinate with CBOs specialized in addressing
								violence against women, Gender Cells, Women's Study Centres at Universities to seek technical inputs in terms of traning and
								capacity building of women affected by violence.
							•	The Centre Administrator will monitor the functioning of OSC, (including the work of the staff), facilitate capacity building, guide and support the team of caregivers.
							•	The Centre Administrator would approve the quarterly report prepared by the IT Staff to be submitted to the Management Committee (MC) through
							•	Implementing Agency (IA). The Centre Administrator would also document the case studies/success stories as per the prescribed format.
							•	The Quarterly Report has to be submitted 15 days prior to the end of each Quarter.
							•	The Centre Administrator will meet the MC on a monthly basis for guidance, support.
							•	The footage of the CCTV would be under the vigilance of the Centre Administrator.
							•	The Centre Administrators can design their own feedback forms for the purpose of Social Audit.
	02	Case	01 अ.ज.	18420 /	45	Any woman having a.  Bachelor in Law/ Social	•	Case Workers will work in shifts to provide 24 hour
	02	Worker	ज.ज. जा.	प्रतिमाह (लेवल–6)	वर्ष	Work/Sociology/Social science/ Psychology with at least 3 years" experience of working on women related	•	service at OSC. She will provide assistance and support to the Centre
							_	

		01 अना.			relevant domains in a Government or Non-Government project/programme.  She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.	services to women accessing OSC.  She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion.  She will be responsible for other work as assigned by the Centre Administrator.
03	Para Legal Personn el/Lawy er	01 अना.	18420 / — प्रतिमाह (लेवल–6)	45 वर्ष	• In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government women related project /programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years' experience of litigation in any court of law.	woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate
04	Para Medical Personn el	01 अना.	18420 / — प्रतिमाह (लेवल—6)	<b>45</b> वर्ष	• In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in paramedices with a background in health sector and preferably with at least 3 years "experience of working within a Government of Non-Government health project/programme at the district level.	<ul> <li>Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC.</li> <li>She will provide first aid and immediate life- saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital.</li> <li>She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors.</li> <li>She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.</li> </ul>

100 18 2005 17/207/

05	Psycho- social Counsel lor	01 अना.	25780 / — प्रतिमाह (लेवल–8)	<b>4</b> 5 वर्ष	• The service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in psychology / psychiatry / neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government health project/ programme at the district level.	<ul> <li>She will provide psychological counselling and guidance to the woman affected by violence and support in referral services that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs.</li> <li>She will help draft the case history of the women affected by violence.</li> </ul>
06	कार्याल य सहाय क	01	18420 / - प्रतिमाह (लेवल–6)	45 वर्ष	• The services could be. outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers/ IT etc with a minimum of 3 years" experience in data management, process documentation and webbased reporting formats, video conferencing at state or district government level or with Non- Governmental/ IT-based organizations.	<ul> <li>Office Assistant will work in shifts to provide 24 hour service at OSC.</li> <li>Office Assistant would generate the Unique ID of the women affected by violence through web based software.</li> <li>She/he would document the case history as provided by the Centre Administrator, Counsellor, Paramedic, Lawyer and Police Facilitation Officer and record proceedings for case management as well as develop the web based data, help in video conferencing, data entry operations etc.</li> <li>She/he would be responsible for keeping record of CCTV footage at OSC.</li> <li>She/he would follow strict proceedings to maintain privacy with regard to data generated and will ensure that name and other details of aggrieved women remain confidential in each step of case history documentation.</li> <li>She/he will assist the police facilitation officer/counsellor/ Para Medical Personnel/ Para Legal Personnel to document the case history.</li> <li>She/he would draft the monthly/quarterly report based on the MIS, web based data collection which would be approved at the level of the Centre Administrator for submission to the Management Committee.</li> </ul>
o7	ok	se Co अ.जा. 01 पर	द 11720 / - प्रतिमाह (लेवल-6)	वर्ष	The multi-purpose activity could be outsourced to any person who is literate with knowledge / experience of working in the relevant domain. High School pass or equivalent will be preferred.	the bed sheets, pillow covers (weekly) of shelter room.  She will offer water to the visitors, maintain visitor register provide

·						
						She will help any other staff with referrals and do such other ancillary work as requested by the Centre Administrator.
8	Securit y Guard/ Night Guard	अ.ज.जा. 01 पद अना. 01 पद अ.जा. 01 पद	11360 / — प्रतिमाह (लेवल—1)	<b>45</b> वर्ष	• The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / paramilitary personnel.	The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the

### उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

#### 2. आयु सीमा:-

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।
- 2.3 पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/— के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पित / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।
- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण—पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.14 शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सिहत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक—इन—इंटरव्यु/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- 2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि..... तक स्वीकार किए जाएगे।
- 2.20 कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू में सिम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

- उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है 2.24 तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
- 3. <u>नियुक्ति प्रक्रिया</u>:— मिशन शक्ति अतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावेगा।

सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला 3.1

सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा 3.2

जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के 3.3 आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 3.4

अधिकतम ६० अंक।

न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, 3.5 अधिकतम 10 अंक।

राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 3.6 अंक तक होगा।

उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

वॉक इन इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय 3.7 भाषा / बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक—इन—इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी 3.8 मापदंड रखा जाएगा।

अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर 3.9

चयन में वरीयता दी जावेगी।

- विभाग विकास बाल महिला एवं शासन छत्तीसगढ 3232 / 1538 / सा / 2024 / 50 दिनाक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि 3.10 जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र मे एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
- अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेत् आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावेगा।
- समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 2.4, 2.5 एवं 2.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उजित समझे वॉक-इन-इटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं

11471 10.11

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।

4. नियुक्ति की अवधि:--

इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की 4.2 जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना

या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं 4.3 तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 4.5

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला 4.6. रायपुर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in पर देखी जा सकती है।

उक्त विज्ञापन में केन्द्र प्रशासक, साईको-सोशल काउंसलर, केसवर्कर, पैरा लीगल 4.7 कार्मिक / वकील, पैरा मेडिकल कार्मिक, बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया, सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड के पदो पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे तथा कार्यालय सहायक पद हेतु महिला या पुरूष अभ्यर्थी पात्र होगे।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क/2657/मबावि./स्थापना शाखा/2024-25 प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 17/01/2025

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा 1. रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

वेब मेनेजर, जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

उप संचालक, जन संपर्क विभाग, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेगें।

कार्यालयीन नस्ती।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला-रायपुर (छ.ग.)

## <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला– रायपुर (छ.ग.) स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

1.	आवेदित सेवा का नाम	:
2.	आवेदक का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)	:
3.	पिता / पति का नाम	:
4.	स्थायी पता	:
5.	(पत्र व्यवहार का पता)	:
		दूरभाष / मो.नं
6.	जन्मतिथि (अंको में)	;- <u> </u>
	(शब्दो में)	:
7.	दिनांक 01/01/2025 को आयु	:
8.	लिंग पुरूष/महिला	;
9.	जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा.	/अ.पि.व. / सामान्य) जातिवर्गवर्गवर्व
10.	क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धः	शासकीय संस्था में सेवारत हैं ?
11.	विवाहित / अविवाहित / विधुर /	′परित्यक्त्ता :—
12.	यदि आप विवाहित है तो विव	ाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :—
13.	शैक्षणिक योग्यताः—(जन्मतिथि संलग्नकरें)	एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति

<b>क्र.</b> र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस	था का नाम	प्राप्ता पूण		प्रतिशत	श्रेणी		
					-					
14.	अन्य योग्यता	:								
15	अनुभव (प्रमाण	पत्र संलग्न व	करें) :—							
414	था का नाम	पद	नाम	अनुभव् का	विवरण		न एवं पद			
				कब से क	ब तक	छोड़	ने का कार	्ण		
<b>17</b> .	इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं। अनिवार्य संलग्नकों की सूची:— 1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकूसची योग्यतानुसार। 2. 12 वीं अंकसूची 3. स्नातक की अंकूसची 4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर) 5. व्यवसायिक पाठ्यक्रय का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर) 6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अविध का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र। 7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र 8 जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार) 3									
			п		3					
	4		ग 2							
		द्वारा घोषणा इ सत्य है ३	ग 2 5 करता / करत	<b>पत्र / /</b> ती हूं कि इस	6 अ प्रपत्र में 1	ावेदक एवं देए गए	का हस्ताक्ष ं नाम समस्त वि	 श <b>र</b>		
	मै एतद् संलग्न अभिलेख	द्वारा घोषणा इ सत्य है ३	ग 2 5 करता / करत	<b>पत्र / /</b> ती हूं कि इस	6 अ प्रपत्र में 1 नाते है, र	ावेदक एवं देए गए तो मेरे	का हस्ताह ं नाम समस्त वि विरुद्ध वैध	 तर वरण ानिक		
कार्य	मै एतद् संलग्न अभिलेख	द्वारा घोषणा इ सत्य है ३	ग 2 5 करता / करत	<b>पत्र / /</b> ती हूं कि इस	6 अ प्रपत्र में 1 नाते है, र	ावेदक एवं देए गए तो मेरे	का हस्ताक्ष ं नाम समस्त वि	 तर वरण ानिक		

Emprove Jan 18, 2025, 17:30